

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या- 115 / सेक-2-पॉच-17-1(3)/2014
लखनऊ :: दिनांक : 10 जनवरी, 2017

कार्यालय ज्ञाप

डा0 भाष्कर राय व 05 अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-42583/2015 डा0 भाष्कर राय व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य इस आशय से योजित की गयी कि 'आसन्न कनिष्ठ नियम' के अन्तर्गत कनिष्ठ के सापेक्ष प्रोन्नति एवं परिणामी लाभ प्रदान किया जाय। मामले की सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2015 पारित किया गया, जो निम्नवत् है:-

"Heard learned counsel for the parties.

Petitioners before this Court, who are six in number, contend that all those Medical Officer who were members of PMHS Cadre and had not been considered for promotion to Level IV for no fault of their are being considered by the State Government for promotion, only when an order is made by the writ Court, and not otherwise. Reference is made to the order dated 17.01.2015 enclosed as Annexure-1 to the present petition.

We find that similar nature of writ petitions are being filed before this Court.

We dispose of the present writ petition with a direction upon the State Government that all such similarly situate employees must be considered for promotion to Level IV at par with the officers who were junior to them and have since been promoted. There should not be any further litigation for the purposes of consideration for promotion. It must be uniformly applied for all similar situate. The application of the similarly situate candidates must be considered within four weeks from the date a certified copy of this order is filed before the respondent no. 1. With the aforesaid directions, the present writ petition is disposed of."

2- मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2015 के अनुपालन में 'आसन्न कनिष्ठ नियम' के अन्तर्गत को डा0 नरेश चन्द्र यादव उनके कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से लेवल-3 से लेवल-4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु दिनांक 06.01.2017 को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गयी। पदोन्नति का मानदण्ड 'श्रेष्ठता' है। 'श्रेष्ठता' मानदण्ड के आधार पर चयन समिति द्वारा तत्समय की गोपनीय प्रविष्टियों/सेवा अभिलेखों के आधार पर डा0 नरेश चन्द्र यादव को उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारी, डा0 सत्येन्द्र कुमार सिंह की पदोन्नति की तिथि 14.07.2005 से लेवल-3 से लेवल-4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

3- अतः सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारी, डा0 नरेश चन्द्र यादव (वरिष्ठता क्रमांक-4071क) को लेवल-3 (वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड-पे-7600) से लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8700) के पद पर उनके कनिष्ठ सामान्य उप संवर्ग के चिकित्साधिकारी डा0

सत्येन्द्र कुमार सिंह (वरिष्ठता क्रमांक-4751) की पदोन्नति की तिथि 14.07.2005 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


आलोक कुमार
सचिव।

संख्या- 1154 (1)/सेक-2-पांच-17, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर।
- 7- कोषाधिकारी, लखनऊ/जवाहर भवन लखनऊ/कानपुर।
- 8- प्रभारी कम्प्यूटर, सेल को इस निर्देश सहित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 9- डा0 नरेश चन्द्र यादव, सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर(द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर)।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या- 115 /सेक-2-पॉच-17-1(3)/2014

लखनऊ :: दिनांक : 10 जनवरी, 2017

कार्यालय ज्ञाप

डा0 भाष्कर राय व 05 अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-42583/2015 डा0 भाष्कर राय व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य इस आशय से योजित की गयी कि 'आसन्न कनिष्ठ नियम' के अन्तर्गत कनिष्ठ के सापेक्ष प्रोन्नति एवं परिणामी लाभ प्रदान किया जाय। मामले की सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2015 पारित किया गया, जो निम्नवत् है:-

"Heard learned counsel for the parties.

Petitioners before this Court, who are six in number, contend that all those Medical Officer who were members of PMHS Cadre and had not been considered for promotion to Level IV for no fault of their are being considered by the State Government for promotion, only when an order is made by the writ Court, and not otherwise. Reference is made to the order dated 17.01.2015 enclosed as Annexure-1 to the present petition.

We find that similar nature of writ petitions are being filed before this Court.

We dispose of the present writ petition with a direction upon the State Government that all such similarly situate employees must be considered for promotion to Level IV at par with the officers who were junior to them and have since been promoted. There should not be any further litigation for the purposes of consideration for promotion. It must be uniformly applied for all similar situate. The application of the similarly situate candidates must be considered within four weeks from the date a certified copy of this order is filed before the respondent no. 1. With the aforesaid directions, the present writ petition is disposed of."

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन हेतु याची डा0 रामनारायन सिंह वरि0क0-5385, सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी का प्रत्यावेदन दिनांक 07.07.2016 व डा0 इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता, वरि0क0-5261 चिकित्साधिकारी का प्रत्यावेदन दिनांक 04.07.2016 प्राप्त हुआ जिसमें मुख्य रूप से आसन्न कनिष्ठ नियम के अधीन सामान्य उपसंवर्ग के कनिष्ठ को प्राप्त प्रदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.07.2015 के अनुपालन हेतु याची डा0 राम नारायन सिंह व 01 अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या-5775/2016 डा0 राम नारायन सिंह व अन्य बनाम श्री अरूण कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य योजित किया गया। मामले में मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.11.2016 पारित किया गया, जो निम्नवत् है:-

" Heard Sri Sudhanshu Pandey, learned counsel for applicant.

It is submitted that despite effecting service of the certified copy of the order dated 31.7.2015 in Writ- A No. 42583/2015 on the opposite party by registered post dated 4.7.2016/ 5.7.2016, wherein he was directed to consider the case of the applicants for promotion to Level IV at par with the officers junior to them and have since been promoted, within four months, but till date no orders, whatsoever, have been passed, which is in wilful/deliberate disobedience thereof.

Prima facie, contempt is made out against the opposite party.

; Issue notice to the opposite party.

List on 11 .1.2017 . Opposite party need not appear at this stage.

The counter affidavit may be filed within the aforesaid period or else charges may be framed after summoning the noticee.

However, one more opportunity is granted to opposite party to comply the order within a month. In that eventuality, an affidavit of compliance may be filed.

The office may send a copy of this order along with the notice."

4— मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2015 के अनुपालन में 'आसन्न कनिष्ठ नियम' के अन्तर्गत याचीगण को उनके कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से लेवल-3 से लेवल-4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु दिनांक 06.01.2017 को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गयी। 'श्रेष्ठता' मानदण्ड के आधार पर चयन समिति द्वारा याचीगण के तत्समय की गोपनीय प्रविष्टियों/सेवा अभिलेखों के आधार पर डा0 राम नारायण सिंह व डा0 इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता को उनके कनिष्ठ डा0 रवि कुमार शर्मा की पदोन्नति की तिथि 11.02.2008 से लेवल-3 से लेवल-4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

5— अतः उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को लेवल-3 (वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड-पे-7600) से लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8700) के पद पर उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारी, डा0 रवि कुमार शर्मा (वरिष्ठता क्रमांक-9066) की पदोन्नति की तिथि 11.02.2008 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	वरिष्ठता क्रमांक	नाम
1	2	3
1	5385	डा0 राम नारायण सिंह
2	5261	डा0 इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता

6— अतएव प्रस्तर-2 में उल्लिखित याचीगण के प्रत्यावेदन उपर्युक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

आलोक कुमार
सचिव।

संख्या- 115 (1)/सेक-2-पांच-17, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रोन्नत किये गये चिकित्सकों के संबंध में यदि किसी चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, निलम्बन तथा अनाधिकृत अनुपस्थिति हो, तो उस चिकित्सक को छोड़ते हुए शेष चिकित्सकों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु अपने स्तर से तत्काल निर्देश जारी करें।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से सभी संबंधित चिकित्साधिकारियों को परिचालित कराने एवं उक्त सूची को विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर/लखनऊ मण्डल।

- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर तथा डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल), अस्पताल, लखनऊ।
- 6- कोषाधिकारी, गोरखपुर/जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- प्रभारी कम्प्यूटर, सेल को इस निर्देश सहित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 राम नारायण सिंह, 15 एफ, बब्बन मिश्रा कालोनी, डी0आई0जी0 बंगले के सामने विन्दलपुर, गोरखपुर।
- 9- डा0 इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारी, 21/1002, इन्दिरानगर, लखनऊ-226016।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

